आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

16.09.2013

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

आदेश

वाद संख्या–सी0आर0एम0–16/2013–14

रकटू राम
बनाम
बिहार सरकार

अपीलकर्ता श्री रकटू राम द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया के आदेश दिनांक 16.02.2013 जिसके द्वारा अपीलकर्ता के जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्ति संख्या–85/07 को रद् कर दिया गया है, के विरूद्ध यह अपील दायर किया गया है। आदेश पारित होने के 30 दिनों के अन्दर ही अपील दायर करने का प्रावधान है, लेकिन अपीलकर्ता द्वारा लगभग 07 माह बाद यह अपील दायर किया गया है।

अपील दायर करने में हुए विलंब के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा Limitation Act की धारा–05 के अंतर्गत आवेदन पत्र दिया गया है, जिसमें बीमारी के कारण विलंब से अपील दायर करने का जिक्र किया गया है। इसकी पुष्टि में उन्होनें डा0 दिनेश मिश्र, बेतिया द्वारा स्वस्थ्य होने का प्रमाण पत्र दिनांक 20.07.2013 को दिया गया है। प्रमाण पत्र की छाया प्रति दाखिल की गयी है। प्रमाण पत्र में इलाजरत रहने का कोई जिक्र नही है, किस तिथि से किस तिथि तक बीमार रहे इसका भी जिक्र नही है। प्रमाण पत्र मात्र सादा कागज पर बिना किसी पंजीकरण संख्या के निर्गत है। अतः उपरोक्त के आलोक में अपीलकर्ता द्वारा विलंब के लिए दर्शाये गये कारण के रूप में दाखिल प्रमाण पत्र की साक्ष्यात्मक प्रमाण(evidentiary value) मूल्यहीन है।

इससे स्पष्ट होता है कि यह अपील कालबाधित है। अतः अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

16/9 16/9

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया

सत्यापित प्रतिलिपि